"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 350] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 सितम्बर 2016— भाद्रपद 21, शक 1938

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-353/गृह-दो/2007. — छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-353/गृह/2007, दिनांक 12 जुलाई, 2012 को अतिष्ठित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

1.	पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़	-	सभापति
2.	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक (छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल)	-	सदस्य
3.	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता)	-	सदस्य
4.	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)	-	सदस्य
5.	पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित अधिकारी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)	-	सदस्य

No. F 11-353/Home-Two/2007. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 22 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007) and in supersession of this department's notification No. F 11-353/Home/2007, dated 12th July, 2012, the State Government, hereby, constitutes the Police Establishment Board consisting of the following members, namely :-

1.	Director General of Police, Chhattisgarh	-	Chairman
2.	Additional Director General of Police/Inspector General of Police (Chhattisgarh Armed Force)	-	Member
3.	Additional Director General of Police/Inspector General of Police (Intelligence)	-	Member
4.	Additional Director General of Police/Inspector General of Police (Administration)	-	Member
5.	Nominated Officer by Director General of Police (Scheduled Castes/Scheduled Tribes)	-	Member

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.